

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 190 / 2017 / झुञ्जनू
2. अपील संख्या 191 / 2017 / झुञ्जनू
3. अपील संख्या 192 / 2017 / झुञ्जनू
4. अपील संख्या 193 / 2017 / झुञ्जनू
5. अपील संख्या 194 / 2017 / झुञ्जनू
6. अपील संख्या 195 / 2017 / झुञ्जनू

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, झुञ्जनू।

बनाम

मैसस टीसीएल एमएमपीएल कोन्सोरटियम, खेतडी नगर

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री नथूराम, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक।

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.06.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त सभी अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन झुञ्जनू (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान राज्य में स्थायी क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 15(1)(2), 34(ए) एवं 35(1)(ए) के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से धारा 15(2) के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपील स्वीकार किये जाने को अधिनियम की धारा 16 के तहत विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :—

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अपी.आद.दि.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	क.नि. वर्ष	शास्ति अंतर्गत धारा 15(2)
190 / 17	149 / अपील्स बीकानेर / प्रवेश कर	13.10.16	1.6.16	10-11	10,33494
191 / 17	150 / अपील्स बीकानेर / प्रवेश कर	13.10.16	1.6.16	11-12	12,53,521
192 / 17	151 / अपील्स बीकानेर / प्रवेश कर	13.10.16	1.6.16	12-13	9,17,348
193 / 17	152 / अपील्स बीकानेर / प्रवेश कर	13.10.16	1.6.16	13-14	21,53,338
194 / 17	153 / अपील्स बीकानेर / प्रवेश कर	13.10.16	1.6.16	14-15	30,36,154
195 / 17	154 / अपील्स बीकानेर / प्रवेश कर	13.10.16	1.6.16	15-16	87,926

2. | इन अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन झुञ्जनू द्वारा किये जाने पर पाया कि व्यवसायी कंपनी झुञ्जनू जिले के खेतडी क्षेत्र में माइनिंग (mining) का कार्य करती है तथा उसके द्वारा राज्य के बाहर से पाइप एण्ड पाइप फीटिंग, इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स गुरुद्दस, आयैल एण्ड लुब्रीकेप्टस, टायर-ट्यूब, स्टील स्ट्रक्चरल एंव Earth moving & mining machinery का आयात किया गया तथा आयात किये गये माल पर प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। व्यवहारी ने स्वयं इनका राज्य में उपयोग / उपभोग किया है, व्यवहारी पर राज्य में प्रवेश कर का दायित्व मानते हुए अभियोग स्थापित करते हुए पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी द्वारा प्रवेश कर योग्य वस्तुएँ राज्य के बाहर से खरीद की गई हैं तथा वेट 47 एवं सी फार्म द्वारा माल क्रय करते हुए उपभोग किया है, जिस पर

4 प्रतिशत की दर से कर दायित्व निर्धारित करते हुए प्रवेश कर, धारा 34ए के तहत ब्याज एवं धारा 35(1)(ए) के तहत शास्ति तथा धारा 15(2) के तहत निर्धारित कर की डेढगुना शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने करदेयता व ब्याज के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की, लेकिन करयोग्य माल की प्रविष्टि उजागर नहीं करने पर अधिनियम की धारा 15(2) के तहत अरोपित शास्ति को अपास्त किया एवं व्यवहारी की अपीलें आंशिक स्वीकार की। उक्त आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से टायर, ट्यूब्स, लुब्रीकेन्ट, स्टील स्ट्रक्चरल स्पेयर पार्ट्स का आयात किया जाता है, जिस पर प्रवेश कर देय बनता है। व्यवहारी द्वारा प्रवेश कर अदा नहीं किया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः उन्होंने व्यवहारी पर आरोपित कर व ब्याज को अपीलीय अधिकारी को यथावत रखा है, अतः आरोपित अंतर्गत अधिनियम की धारा 15(2) की शास्ति को उचित बतलाते हुए शास्ति के बिन्दु पर विभाग की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवसायी कंपनी झुन्झुनू जिले के खेतडी क्षेत्र में माइनिंग (mining) का कार्य करती है तथा उसके द्वारा राज्य के बाहर से पाइप एण्ड पाइप फीटिंग, इलैक्ट्रिकल एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स गुड्स, आयैल एण्ड लुब्रीकेण्ट्स, टायर-ट्यूब, स्टील स्ट्रक्चरल का आयात किया गया तथा सशक्त अधिकारी के मुताबिक मोटर व्हीकल पार्ट्स तथा अर्थमूविंग एण्ड माइनिंग मशीनरी का भी आयात किया गया है तथा इनका उपयोग आम पब्लिक रोड पर नहीं किया जा सकता है एवं इन मशीनों को माईनिंग कार्य समाप्त होने पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानि ऑन रोड चलाकर नहीं ले जा सकते, बल्कि इनको अन्य भारी वाहन जैसे ट्रेलर में लोड करके ही ले जाया जाता है। इन मशीनों की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु 'डीजीएमएस' (डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी) द्वारा अनेक शर्त निर्धारित की गई है, जिनकी पालना करनी होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि व्यवहारी फर्म का सर्वे दिनांक 11.06.2015 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, एई, झुन्झुनू द्वारा किया गया, जिसमें उनके द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि कंपनी द्वारा अर्थ मूविंग एवं माईनिंग मशीनरी (स्पेयर पार्ट्स) टायर, ट्यूब, लुब्रीकेन्ट, स्टील स्ट्रक्चर का आयात राज्य के बाहर से किया है, जिस पर उसके द्वारा प्रवेश कर नहीं चुकाया गया है। अतः उनके द्वारा कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया गया जिसकी अपील करने पर कर व ब्याज को यथावत रखा गया है सिवाय एक्सकेवेटर के स्पेयर पार्ट्स/पार्ट पर करारोपण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, व्यवहारी पर आरोपित शास्ति अधिनियम की धारा 15(2) को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, जो विधिक है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को उचित बतलाते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त उद्घरित किये गये :-

1. मै 0 हिन्दुस्तान स्टील लि 0 बनाम स्टेट ऑफ उडीसा (1970) 25 एसटीसी 211(एससी)
2. मै 0 विजय होजरी मिल्स बनाम स्टेट ऑफ राज 0 (1980) 45 एसटीसी 345 (राज डीबी)
3. एसटीओ बनाम कुमावत उद्योग (1995) 97 एसटीसी 238 (राज. एसबी)
4. हालेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा०लि 0, सी-185 सिंहल ऑटोमेटिक्स, वीकेआई, जयपुर बनाम सीटीओ जोन एंटीवीजन-द्वितीय दिनांक 16.09.09 25 टीयूडी 189 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि यदि खरीद बिक्री के संव्यवहार लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तो शास्ति का आरोपण विधिक नहीं है।
5. माननीय उच्चतम न्यायलाय के निर्णय श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य एवं अन्य (2010) 26 टैक्स अपडेट 01

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का सुसंगत अध्ययन किया गया। प्रकरण में व्यवहारी द्वारा आयातित माल अर्थ मूविंग मशीन एवं माइनिंग मशीनरी से संबंधित जो पार्टस/स्पेयर पार्टस व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये हैं, उनकों सशक्त अधिकारी द्वारा मोटर व्हीकल के पार्टस मानकर उन पर प्रवेश कर आरोपित किया है एवं अपीलीय अधिकारी ने इस पर प्रवेश कर व ब्याज की पुष्टि भी की है। परन्तु अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में माना है कि अर्थ मूविंग एवं माइनिंग मशीनरी (Excavators) का उपयोग केवल माइनिंग कार्य हेतु ही किया जाता है तथा इन मशीनों हेतु उक्त पार्टस/स्पेयर पार्टस मंगवाये गये हैं, जो कभी भी रोड पर नहीं चलती है तथा कार्य समाप्ति उपरान्त उन्हें ट्रेलर में डालकर ही अन्यत्र स्थान पर परिवहनित किया जाता है। अतः एक्सकेवेटर के पार्टस/स्पेयर पार्टस के आयात पर प्रकरणों में कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं। परन्तु इन समस्त वस्तुओं के प्रवेश को उजागर नहीं करने पर अधिनियम की धारा 15(2) के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। विभाग द्वारा पांचों अपीलों में केवल शास्ति को अपास्त करने को चुनौती दी गई है, अतः शास्ति के बिन्दु पर प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। शास्ति आरोपण के संबंध में अधिनियम की धारा 15(2) की उपपत्ति निम्नानुसार है :—

"In making an assessment under sub-section (1) the assessing authority may, if it is satisfied that the escape from assessment is due to willful non disclosure of the entry of such goods by the dealer, direct him to pay, in addition to the tax assessed under sub section (1), a penalty not exceeding one and a half times the tax so assessed.

Provided that no penalty under this sub section shall be directed to be paid unless the dealer affected has had a reasonable opportunity of showing cause against such penalty."

प्रकरणों में समस्त संव्यवहार व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है एवं अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष आयातित माल के बिल्स, बिल्टियां एवं लेखा पुस्तकें प्रस्तुत की गई हैं, जिससे व्यवहारी की जानबूझकर करापवंचना की नीयत सिद्ध नहीं होती है।

शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षित उल्लेख निम्नानुसार है :—

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य तथा समान तथ्यों पर आधारित राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 2695/2016/झन्जून सीटीओ बनाम मैसर्स अंकुश मार्केटिंग निर्णय दिनांक 18.05.2017 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुरूप व्यवहारी के बिना कर चोरी की मंशा प्रमाणित होने के आधार पर, आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः शास्ति के बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी के निर्णयों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें इस सीमा तक अस्वीकार की जाती हैं।

13. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(नंत्यूराम)
सदस्य